प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'तेरह'

[21/3/2018]

प्रश्न सं. [क्र. 4102]

विधानसभा सत्र फरवरी–मार्च 2018, बैठक दिनांक 21/03/2018

विधानसभा तारांकित प्रश्न कमांक : 4102 प्रश्नकर्ता माननीय विधायक श्री सुखेन्द्र सिंह

परिशिष्ट

1. श्री अरूण कुमार मिश्र, ग्राम भमरा सर्विस क्रमांक 72–4–1596986 का घरेलू कनेक्शन है। उपभोक्ता का मीटर पूर्व में चालू था, मीटर रीडर द्वारा रीडिंग न लेने के कारण माह (अप्रैल–2015 से दिसम्बर–2015 में औसत खपत **849** यूनिट, अक्टूबर–2016 से अप्रैल–2017 में **1755** यूनिट एवं जुलाई–2017 से सितम्बर–2017 तक **225** यूनिट कुल=2829 यूनिट औसत खपत) का देयक जारी हो गया था। पूर्व में माह मई–2017 की मीटर रीडिंग 2860 तक बिल जारी किया गया। उपभोक्ता की शिकायत पर दिनांक 22.04.2017 को जांच करने पर रीडिंग 7878 यूनिट पाये जाने पर पूर्व रीडिंग 2860 के अनुसार 5018 यूनिट का देयक माह जून–2017 में जारी किया गया। जांच करने पर मीटर सही पाया गया।

उपभोक्ता को जारी किये गये कुल औसत खपत 2829 यूनिट की कुल रूपये 28313 की राशि का समायोजन विद्युत देयक में कर दिया गया है। उपभोक्ता द्वारा देयक का भुगतान न करने के कारण दिनांक 16.01.2018 को बकाया राशि 56448/– पर नियमानुसार अस्थाई रूप से कनेक्शन काट दिया गया है। वर्तमान माह मार्च–2018 में बकाया राशि 57954 है, जिसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा नही किया गया है।

2. उपभोक्ता श्रीमती सोनियां विश्वकर्मा सर्विस क्रमांक 90–1–1700303 आटा चक्की का कनेक्शन है। माह अक्टूबर–15 से फरवरी–17 तक औसत खपत 2620 यूनिट का बिल मीटर रीडिंग न लिये जाने के कारण जारी किया गया। पूर्व में माह फरवरी–17 में मीटर रीडिंग 01 यूनिट का देयक जारी किया गया। उसके पश्चात माह मार्च–17 में मीटर की जांच करने पर रीडिंग 2376 पाये जाने पर रीडिंग अन्तर 2375 यूनिट का विद्युत देयक मार्च–2017 में जारी किया गया। दिनांक 28.12.2017 को जांच में मीटर सही पाया गया। उपभोक्ता के विद्युत देयक मे लगे 2620 यूनिट औसत खपत की समायोजन योग्य राशि 20319/– है, जिसमें रूपये 18209/– माह फरवरी–2017 में छूट प्रदान की गई थी। शेष रूपये 2110/– का समायोजन सी.सी.वी. रजिस्टर पेंज क्रमांक 121/190 स.क्र.06 दिनांक 28.02.2018 से दे दी गई है। वर्तमान में उपभोक्ता द्वारा माह फरवरी–2018 में रूपये 12000/– का भुगतान किया गया एवं मार्च–2018 में शेष राशि 13972 का भुगतान करने के लिये कहा गया है, एवं उपभोक्ता द्वारा विद्युत का उपयोग किया जा रहा है।

3. श्री रामसुफल कोल सर्विस क्रमांक 70–18–1199377 बरयांकला का घरेलू कनेक्शन है। उपभोक्ता के यहां माह जुलाई–2017 में 5472 यूनिट इक्ट्ठा खपत आने पर उपभोक्ता द्वारा मीटर टेस्ट कराने हेतु मीटर परीक्षण शुल्क कनिष्ठ अभियंता, मऊगंज–1 के कार्यालय में रसीद क्रमांक 1108/368 दिनांक 26.08.2017 के माध्यम से रूपये 75 जमा किया था। राशि जमा होने के पश्चात् मीटर को मीटर टेस्टिंग हेतु सतना भेजा गया था। दिनांक 27.10.2017 को एल.टी.एम.टी. मीटर परीक्षण प्रयोगशाला, सतना की जांच उपरांत मीटर 70 प्रतिशत् फास्ट पाये जाने पर उपभोक्ता को रूपये 46718/– की छूट सी.सी.वी. रजिस्टर पेंज क्रमांक 33120/178 दिनांक 25.11.2017 से दी गई है। चूँकि उपभोक्ता का मीटर जाँच में 70 प्रतिशत फास्ट पाया गया है, जिससे तीस प्रति ात मीटर की खपत रूपये 14389 की डिमांण्ड सी.सी.वी. रजिस्टर पेंज क्रमांक 4707/2 स0क्र0 12 से दिनांक 28.02.18 से कर दी गई है। वर्तमान में उपभोक्ता बिजली का उपयोग कर रहा है, एवं देयक का नियमित भुगतान भी कर रहा है।

<u>विधानसभा सत्र फरवरी–मार्च 2018, बैठक दिनांक 21/03/2018</u>

विधानसभा तारांकित प्रश्न कमांक : 4102 प्रश्नकर्ता माननीय विधायक श्री सुखेन्द्र सिंह

परिशिष्ट

विवरण निम्नानुसार है:–

रीडिंग जुलाई–2017	–	5472 यूनिट
मीटर फास्ट 70 प्रतिशत	–	3830 यूनिट रूपये 32329 की छूट प्रदाय की गई है।

अतः शेष 1642 यूनिट की राशि का रूपये 14389/– का बिल निम्नानुसार दिया गया है:–

इनर्जी चार्ज	–	10443.12
फिक्स चार्ज	–	2090.00
ड्यूटी	–	1566.45
एफ.सी.ए.	–	279.14
मीटर किराया	–	10.00
योग	–	14389.00

4. श्री जयवीर पटेल सर्विस क्रमांक 72–9–68354 ग्राम देवरी घरेलू कनेक्शन है। उपभोक्ता के यहां बिना मीटर कनेक्शन था। उपभोक्ता को माह जून 2013 से फरवरी 2018 तक अनमीटरर्ड घरेलू विद्युत टैरिफ के आधार पर कुल 1539 यूनिट के बिल जारी किये गये। उक्तावधि में अधिक बिलिंग की गई 1164 यूनिट के विरूद्ध रू. 6990 की राशि समायोजित कर दी गई है, जो कि आगामी माह अप्रैल 2018 के देयक में परिलक्षित होगी। उपभोक्ता के परिसर में दिनांक 01.03.2018 को मीटर स्थापित कर दिया गया है।

––––

अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल